हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/07/24 → अस्ल यह पत्रावली पेश हुई प्रार्थीगण उपस्थित है। प्रकरण मे तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त है। प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज है। प्रकरण मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट धारा 136 मे स्वीकार योग्य है। प्रा.पत्र स्वीकार कर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। उक्त निर्णय की छायाप्रति के साथ तहसीलदार मुण्डावर को अदमाय जारी है सुनाया गया बाद तकमील पत्रावली जिला लेख भण्डार हो।	

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी– सुरेन्द्र प्रसाद (R.A.S)

प्रार्थना पत्र संख्या
56 / 24

रजु दिनांक
05 / 07 / 2024

निर्णय दिनांक
05 / 07 / 2024

// उनवान //

सचिव कर्म विधा मंदिर शिक्षण संस्थान मुण्डावर तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा (राज.)

:– प्रार्थीयान

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, खैरथल–तिजारा।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति – सचिव कर्म विधा मंदिर शिक्षण संस्थान – प्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक :– 05.07.2024**

आज यह पत्रावली पेश हुई प्रार्थीगण उपस्थित आये प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा की संस्था कर्म धा मंदिर शिक्षण संस्थान मुण्डावर की आराजी वाके ग्राम गांधीनगर में स्वयं की खरीदशुदा आराजी है जिसका हाल खसरा म्बर 1036, 1039, 1044 है जिसके साबिक खसरा नम्बर क्रमशः 3173 / 1704, 1706, 3175 / 1710 है। उक्त तीनों खसरा म्बर में 1/4 हिस्से को श्रीमान जी आदेशांक क्रमांक 1003 दिनांक 15.06.2004, क्रमांक 2312–15 दिनांक 18.12.2008 एवं क्रमांक 2348–51 दिनांक 31.12.2008 के द्वारा वाणिज्यिक प्रायोजनार्थ (शिक्षण संस्था) हेतु भू–संपरिर्वन कराया हुआ है। तथा मौके पर शिक्षण संस्था संचालित है। सैटलमैंट से पहले की उक्त खसरा नम्बर की जमाबंदीयो में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अंकित किन्तु हाल जमाबंदी में वाणिज्यिक प्रायोजनार्थ अंकन नहीं है अतः श्रीमान जी हाल जमाबंदीयो मे वाणिज्यिक प्रायोजनार्थ का अंकन किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार मुण्डावर से मय दस्वावेज रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण को धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज किया गया मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट जमाबंदी संवत 2067–70 में आराजी खसरा नम्बर 3173 / 1704 रकबा 0.32 है0, 1706 रकबा 0.51 है0, 3175 / 1710 रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम गांधीनगर "कर्म विधा मंदिर शिक्षण संस्थान मुण्डावर सचिव बनवारीलाल पुत्र गंगाराम ब्राह्मण वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ 1/4 सा. देह खातेदार" दर्ज राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट उक्त खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर क्रमशः निम्नप्रकार है। 1036 रकबा 0.32 है0, 1039 रकबा 0.51 है0, 1044 रकबा 0.46 हैक्टेयर है। जमाबंदी सम्वत 2073–76 हाल खसरा नम्बर 1036, 1039 वाके ग्राम गांधीनगर में "कर्म विधा मन्दिर शिक्षण संस्थान मुण्डावर हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण खातेदार जर्ये सचिव बनवारीलाल पुत्र गंगाराम एवं आराजी खसरा नम्बर 1044 वाके ग्राम गांधीनगर कर्म विधा मन्दिर शिक्षण संस्थान मुण्डावर सचिव बनवारीलाल पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः ऑनलाईन जमाबंदी तैयार करते समय सहवन से इन्द्राजात में "वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ" का इन्द्राज नहीं किया गया है। मुताबिक साबिक जमाबंदी हाल जमाबंदी में "वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ" का अंकन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रार्थना–पत्र के बाबत पत्रावली व रिपोर्ट तहसीलदार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन किये जाने पर एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1036, 1039, 1044 वाके ग्राम गांधीनगर के कर्म विधा मन्दिर शिक्षण संस्थान मुण्डावर जरिये सचिव बनवारीलाल पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण के हिस्से तक **"वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ"** का **अंकन** किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को उक्त निर्णय की प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सुरेन्द्र प्रसाद)